

सूचना

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन: L65910DL1986GOI024862
ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110 001, भारत
दूरभाष सं.: +91 11 23556000, फैक्स: +91 11 23512545,
Tel: +91 11 23556000, Fax: +91 11 23512545,
ई-मेल आईडी: investorsgrievance@pfcindia.com
वेबसाइट: www.pfcindia.com

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की अड़तीसवीं वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित कार्यवाही पूरी करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के जरिए बुधवार, 21 अगस्त, 2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोजित की जाएगी:-

सामान्य कार्यवाही

1. प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना

क) दिनांक 31 मार्च, 2024 तक लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण सहित दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के एकल लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों तथा उन पर निदेशक मंडल, सांविधिक लेखापरीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट।

ख) दिनांक 31 मार्च, 2024 तक लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण सहित दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों तथा उन पर निदेशक मंडल, सांविधिक लेखापरीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट।

2. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना और इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

3. श्री मनोज शर्मा (डीआईएन: 06822395) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन पर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होने के कारण स्वयं के लिए प्रस्ताव किया है।

4. सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना।

विशेष कार्यवाही

5. श्री शशांक मिश्रा, (डीआईएन: 08364288) की निदेशक (सरकारी नामिती) के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि “संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 161 और अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमन 17 (1सी) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अन्य लागू प्रावधानों और/या किसी अन्य लागू कानूनों (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार, श्री शशांक मिश्रा (डीआईएन: 08364288), संयुक्त सचिव, जिन्हें बोर्ड द्वारा नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के आदेश संख्या 8 के अनुसार 25 जून, 2024 से पीएफसी के बोर्ड में निदेशक (सरकारी नामित) के रूप में नियुक्त किया गया। 1/1/2007- पीएफसी डेस्क दिनांक 25 जून, 2024 को कंपनी के एसोसिएशन के लेखों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जारी किया गया और जिनके संबंध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के तहत निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें 25 जून, 2024 से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक (सरकारी नामित) के रूप में नियुक्त किया जाता है और वे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों और शर्तों पर रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे।

6. श्री संदीप कुमार, (डीआईएन: 08529035) की निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) और उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमन 17 (1सी) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और/या किसी अन्य लागू कानून (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार, श्री संदीप कुमार, (डीआईएन: 08529035), जिन्हें बोर्ड द्वारा नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 11 जुलाई, 2024 के अनुसार पीएफसी के बोर्ड में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था। 24-8/1/2023-पीएफसी (एमओपी)-भाग-I दिनांक 11 जुलाई, 2024 को कंपनी के एसोसिएशन के लेखों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जारी किया गया और जिसके संबंध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के तहत निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, उसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया जाता है और इसके द्वारा उसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया जाता है। सीआईएन: L65910DL1986GOI024862 ऊर्जानिधि, 1, बाराखंभा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली - 110001, भारत

टेलीफोन: +91 11 23456000, ईमेल आईडी: investorsgrievance@pfcindia.com वेबसाइट: www.pfcindia.com 1 कॉर्पोरेट अवलोकन वैधानिक रिपोर्ट वित्तीय विवरण (वित्त) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल पर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 11 जुलाई, 2024 से भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों और शर्तों पर रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है।

आदेशानुसार निदेशक मंडल

ह/-

मनीष कुमार अग्रवाल
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

पंजीकृत कार्यालय:

ऊर्जानिधि, 1 बाराखंबा लेन,

कनॉट प्लेस,

नई दिल्ली - 110001

सीआईएन: L65910DL1986GOI024862

दिनांक: 30 जुलाई, 2023

टिप्पणी:-

1. हाल ही में 25 सितंबर, 2023 के एमसीए परिपत्र और 07 अक्टूबर, 2023 के सेबी परिपत्र और अन्य लागू अधिसूचनाओं के मद्देनजर, कंपनी की 38वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसमें सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति नहीं होगी। 38वीं एजीएम के लिए माना गया स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।
2. कंपनी ने सदस्यों को केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफिनटेक), रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों (आरटीए) द्वारा प्रदान की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से 38वीं एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की है। सदस्यों द्वारा भाग लेने के लिए अनुदेश आगामी पैरा में दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम एजीएम में भाग लेने की अनुमति पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर होगी।
3. एमसीए परिपत्रों के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 38वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के लिए गिना जाएगा।

4. कंपनी, सदस्यों को एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग दोनों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मोड से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि 18 अगस्त, 2024 को पूर्वाह्न 10.00 बजे शुरू होगी और 20 अगस्त, 2024 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त होगी। केफिनटेक द्वारा 20 अगस्त, 2024 को शाम 5 बजे ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया अगले पैराग्राफ में दी गई है। ऐसी रिमोट ई-वोटिंग सुविधा वीसी के माध्यम से आयोजित होने वाली 38वीं एजीएम में होने वाली वोटिंग के अतिरिक्त है।

5. वी.सी. के माध्यम से बैठक में शामिल होने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे ए.जी.एम. में ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। जिन सदस्यों ने ए.जी.एम. से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे भी वी.सी. के माध्यम से ए.जी.एम. में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

एक बार किसी सदस्य द्वारा संकल्प पर वोट दे दिया जाता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। कोई सदस्य वोटिंग के केवल सिंगल मोड का ही चयन कर सकता है अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम में वोटिंग के माध्यम से। यदि कोई सदस्य दोनों माध्यम से वोट डालता है, तो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से की गई वोटिंग मान्य होगी और एजीएम के समय दिया गया वोट अवैध माना जाएगा।

6. कंपनी ने गुरुवार, 15 अगस्त, 2024 की तारीख का निर्धारण 38वीं एजीएम में की जाने वाली कार्यवाही की मदों के संबंध में वोट देने की पात्रता का निर्धारण करने के लिए निर्धारित तारीख के रूप में की है।

कोई व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीयों द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में, निर्धारित तारीख के अनुसार दर्ज किया गया है, उसे रिमोट ई-वोटिंग के साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हक होगा। वोटिंग का अधिकार नियत तारीख के अनुसार सदस्यों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार होगा। सदस्य केवल तभी वोट देने के लिए पात्र होंगे, जब उनके पास इस समय धारित शेयर हों। कृपया यह नोट करें कि ऐसा कोई व्यक्ति जो नियत तारीख को कंपनी का सदस्य नहीं है, वह इस नोटिस को केवल सूचना के रूप में माने।

7. कंपनी ने श्रीमती नयन हांडा, पार्टनर, मैसर्स मेहता एंड मेहता, कंपनी सचिव, (एफसीएस सं.: 11993, सी.पी. सं.: 18686) को ई-वोटिंग प्रक्रिया की एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संवीक्षा करने के लिए एक संवीक्षक के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।

8. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और वोट करने के लिए पात्र कोई सदस्य अपनी ओर से भाग लेने और वोट करने के लिए प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकता है। चूंकि 38वीं एजीएम, एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति अनावश्यक हो गई है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा 38वीं एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसीलिए प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति स्लिप और रूट मानचित्र इस सूचना के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं।

9. कॉर्पोरेट सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और उनकी ओर से वोट करने के लिए अपने प्रतिनिधि अधिकृत करने हेतु बोर्ड के संकल्प की एक प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी आवश्यक है। उक्त

संकल्प/प्राधिकार-पत्र nayan@mehta-mehta.in के पंजीकृत ई-मेल पते पर और एक प्रतिलिपि evoting@kfintech.com को भेजते हुए संवीक्षक को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी।

10. यदि बैठक में संयुक्त धारक भाग ले रहे हैं, तो केवल ऐसा संयुक्त धारक ही वोट के लिए हकदार होगा, जो नामों में उच्च क्रम पर है।
11. सदस्यों के रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शुक्रवार, 16 अगस्त, 2024 से बुधवार, 21 अगस्त, 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगे।
12. एमसीए परिपत्रों के अनुसार, 38वीं एजीएम की सूचना और साथ में वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 ऐसे सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरीयों के पास दर्ज है। कृपया सदस्य यह नोट करें कि यह सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 कंपनी की वेबसाइट <https://www.pfcindia.com/investors/annual-reports/>, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर तथा केफिनटेक, आरटीए की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com/> पर भी उपलब्ध है।
13. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अंतर्गत अपेक्षानुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार सूचना के क्रमशः मद सं. 3 और 6 के तहत रोटेशन पर सेवानिवृत्त होने वाले और पुनर्नियुक्ति/नियुक्ति चाहने वाले निदेशक के संक्षिप्त प्रोफाइल सूचना का हिस्सा है।
14. पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रति शेयर ₹110/- के चुकता इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य पर ₹12.5/- (दो रुपये और पचास पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर (टीडीएस की कटौती के अधीन) की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यह वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पहले ही घोषित और वर्ष के दौरान भुगतान किए गए ₹11.00/- (केवल ग्यारह रुपये) प्रति इक्विटी शेयर (टीडीएस की कटौती के अधीन) के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है। अंतिम लाभांश, यदि घोषित किया जाता है, तो एजीएम में अनुमोदन की तारीख से 30 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर भुगतान किया जाएगा।
15. वित्त अधिनियम, 2020 और 2021 के प्रावधानों द्वारा यथा संशोधित और उसके साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 के बाद कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया लाभांश शेयरधारकों के पक्ष में कर योग्य है। कंपनी को अपने शेयरधारकों को लाभांश आय के वितरण पर लागू दरों पर स्रोत पर कर की कटौती करनी अपेक्षित है। टीडीएस काटने की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति और आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर भिन्न हो सकती है। कुछ श्रेणी के शेयरधारकों जैसे म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों को छूट दी गई है जबकि अन्य श्रेणी जैसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के लिए कर की कटौती 20% (प्लस अधिभार और उपकर) या दोहरा कराधान परिहार समझौता (डीटीएए) के तहत लागू कर की लाभकारी दर पर की जानी होगी।

टीडीएस के लिए लागू दर का निर्धारण करने के लिए कंपनियों को शेयरधारकों की कुछ श्रेणियों को कुछ विवरण और अपेक्षित दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों आदि की श्रेणी के शेयरधारकों के संबंध में कहें तो कंपनियां टीडीएस दरों का निर्धारण करने के लिए पैन, पंजीकरण प्रमाण-पत्र, स्व-घोषणा आदि जैसे कुछ दस्तावेज मांगती हैं। लाभांश की घोषणा करने वाली प्रत्येक ऐसी कंपनी को शेयरधारकों द्वारा ये विवरण और दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। समान्यतः म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों आदि जैसे शेयरधारकों के संबंध में, ये विवरण और दस्तावेज शेयरधारकों की ओर से लाभांश की घोषणा करने वाली प्रत्येक कंपनी को उनके संरक्षक द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

आवासीय गैर-व्यक्तिगत सदस्य अर्थात् भारत में स्थापित बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड और वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) तथा गैर-आवासीय गैर-व्यक्तिगत सदस्य अर्थात् विदेशी संस्थागत निवेशक और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अपने संबंधित संरक्षक, जो एनएसडीएल प्लेटफॉर्म पर उपर्युक्त समय-सीमा पर या उससे पहले पंजीकृत हैं, के माध्यम से वैकल्पिक रूप से संबंधित फॉर्म/घोषणा/दस्तावेज जमा कर सकते हैं।

यदि एनएसडीएल प्लेटफॉर्म पर पहले से दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए हैं, तो यह संरक्षक को अपने म्यूचुअल फंड/बीमा कंपनियों/एफपीआई ग्राहकों के दस्तावेजों को अपलोड करने का विकल्प प्रदान करेगा, जो संरक्षक से प्राप्त कई ईमेल को ट्रैक करने के लिए जारीकर्ता/आरटीए की आवश्यकता के बिना रिकॉर्ड तिथि तक लाभार्थी स्थिति के अनुसार आरटीए में स्वतः डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा, जिन डीमैट खातों के लिए निवेशक दस्तावेज डाउनलोड किए गए हैं, उनके विवरण संबंधी रिपोर्ट जारीकर्ता/आरटीए के लिए उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें समाधान की सुविधा प्राप्त होगी।

16. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा किसी सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षक की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति की जाती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसरण में, कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में अथवा आम बैठक में यथानिर्धारित किसी अन्य तरीके से उनके पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सदस्य, निदेशक मंडल को, बोर्ड द्वारा यथा उपयुक्त तरीके से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखापरीक्षकों के उपयुक्त पारिश्रमिक का निर्धारण करने हेतु अधिकृत कर सकते हैं।
17. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 40(1) के परंतुक के अनुसार, 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कंपनी की प्रतिभूतियों का अंतरण तब तक शुरू नहीं किया जाएगा, जब तक प्रतिभूतियां किसी डिपॉजिटरी में डीमैटीरियलाइज़्ड रूप में रखी न गई हो। तदनुसार, फिजिकल रूप में इक्विटी शेयरों को धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमैटीरियलाइज़्ड रूप में रखें ताकि वे उन्हें आसानी से अंतरण कर सकें और कॉर्पोरेट कार्यों में भाग ले सकें।
18. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी भागीदारों (डीपी) के साथ पैन, पिन के साथ पता, ईमेल मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन अपडेट करें, जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते बनाए हुए हैं।

फिजिकल रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को किसी भी परिवर्तन/अद्यतन के संबंध में बता दें। फिजिकल शेयरों से संबंधित उक्त अद्यतन/परिवर्तन को सेबी के दिनांक 3

नवंबर, 2021 के परिपत्र सं.
सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 के अनुसार निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 और अन्य फॉर्म में उल्लेखित अनुदेशों के अनुसार सूचित किया जाना चाहिए। उक्त फॉर्म आरटीए की वेबसाइट- इन्वेस्टर सपोर्ट सेंटर (आईएससी) वेबपेज <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx> से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

सेबी ने 16 मार्च, 2023 के अपने परिपत्र के माध्यम से फिजिकल प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा 1 अक्टूबर, 2023 तक पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन जमा करना अनिवार्य कर दिया है।

19. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के साथ पठित धारा 124 के अनुसरण में, सात वर्ष की अवधि के लिए अदत्त/अदावा की गई लाभांश की राशि केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरित करनी आवश्यक है। जिन शेयरों के संबंध में लाभांशों का भुगतान नहीं किया गया है अथवा लगातार सात वर्ष या अधिक अवधि तक के लिए दावा नहीं किया गया है, वे आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे। जिन सदस्यों के संबंध में अदावा की गई लाभांशों/शेयरों की राशि आईईपीएफ को हस्तांतरित कर दी गई है, वे www.iepf.gov.in पर उपलब्ध वेब फॉर्म आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ प्राधिकरण को एक ऑनलाइन आवेदन करके उसका दावा कर सकते हैं। निवेशकों के ब्यौरे (जिनका भुगतान बकाया है) कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, ताकि निवेशक उनका दावा कर सकें।
20. भौतिक रूप में मल्टीपल फोलियो में शेयरधारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संगत शेयर प्रमाण-पत्रों सहित कंपनी अथवा केफिनटेक, कंपनी के आरटीए को एक फोलियो में अपनी होल्डिंग को समेकित करने हेतु आवेदन करें। अपेक्षित परिवर्तन करने के बाद एक पुष्टिकरण पत्र जारी किया जाएगा जिसे सदस्य को डीमैट के लिए डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास जमा करना होगा।
21. जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे शेयरों अथवा किसी अन्य मामले में ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन, सब डिवीजन, समेकन और/अथवा नाम, पते, ई-मेल पते, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, नामांकन, पावर ऑफ अटॉर्नी अथवा बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम एवं शाखा का विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड इत्यादि में बदलाव से संबंधित समस्त पत्राचार कंपनी के आरटीए को भेजें तथा यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक मोड में हैं तो अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी को भेजें।
22. एकल नाम या संयुक्त रूप से फिजिकल शेयर रखने वाले सदस्यों को कंपनी में अपनी शेयरधारिता के संबंध में नामांकन करने की सलाह दी जाती है। नामांकन फॉर्म आरटीए वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। यदि कोई सदस्य पहले के नामांकन से बाहर निकलने या रद्द करने और नया नामांकन दर्ज करने का इच्छुक है, तो वह इसे फॉर्म आईएसआर-3 या एसएच-14, जैसा भी मामला हो, में जमा कर सकता है। उक्त फॉर्म आरटीए की वेबसाइट-निवेशक सहायता केंद्र (आईएससी) वेबपेज <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx> से डाउनलोड किया जा सकता है।
23. वित्तीय विवरणों और इस बैठक की कार्यवाही की किसी अन्य मद(ओं) के संबंध में कोई भी सूचना चाहने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने प्रश्न कंपनी के कंपनी सचिव को agm2023@pfcindia.com पर ई-

मेल के माध्यम से बैठक की तारीख से कम-से-कम पंद्रह दिन पहले भेजें। कंपनी द्वारा उसका उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा।

24. संबद्ध सूचना और स्पष्टीकरण विवरण तथा सांविधिक रजिस्टर में उल्लिखित समस्त दस्तावेज इस सूचना के परिचालन की तारीख से एजीएम की तारीख अर्थात् 21 अगस्त, 2024 तक कंपनी की वेबसाइट www.pfcindia.com पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध रहेंगे।
25. संकल्पों के परिणाम कंपनी की वार्षिक आम बैठक के बाद घोषित किए जाएंगे और संकल्पों को वार्षिक आम बैठक की तारीख को पारित किया गया माना जाएगा, बशर्ते कि संकल्पों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में वोट प्राप्त हों। घोषित किए गए परिणाम और संवीक्षक की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.pfcindia.com) पर और केफिनटेक की वेबसाइट (<https://evoting.kfintech.com>) पर उपलब्ध होंगे और बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी सूचित किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने सभी शेयरधारकों को इस बैठक में विचार की जाने वाली मदों के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव कर रही है। कंपनी ने एजीएम के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु केफिनटेक की सेवाएं लेने के लिए अनुबंध किया है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि 18 अगस्त, 2024 को प्रातः 10:00 बजे से शुरू होकर 20 अगस्त, 2024 को अपराह्न 5.00 बजे तक रहेगी। केफिनटेक द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल 20 अगस्त, 2024 को अपराह्न 5.00 बजे बंद कर दिया जाएगा।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और अनुदेश नीचे दिए गए हैं। सभी सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना वोट देने से पहले इन अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और अनुदेश

- I. कंपनी के शेयरों को डीमैट रूप में धारण करने वाले **व्यक्तिगत शेयरधारकों** द्वारा रिमोट ई-वोटिंग करने के लिए अनुदेश

सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित परिपत्र के अनुसार, कंपनी के शेयरों को डीमैट रूप में धारण करने वाले सभी व्यक्तिगत शेयरधारक, डिपॉजिटरियों/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी की वेबसाइट पर उनके डीमैट खाते के माध्यम से सिंगल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। तदनुसार, डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों द्वारा यथा विकसित रिमोट ई-वोटिंग सुविधा लॉगिन करने और एक्सेस करने के लिए प्रक्रिया नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन की पद्धति
----------------------	-----------------

एनएसडीएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूति धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक/	1. आईडीईएस सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत यूजर हेतु: I. https://eservices.nsdl.com पर जाएं। II. 'आईडीईएस' खंड के अंतर्गत 'लॉगिन' के अंतर्गत 'बेनिफिसियल ऑनर' पर क्लिक करें। III. नए पेज पर, यूजर आईडी और पासवर्ड डालें। सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण होने के बाद 'ई-वोटिंग एक्सेस' पर क्लिक करें। IV. कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर ले जाया जाएगा। 2. जो यूजर आईडीईएस ई-सर्विसिज के लिए पंजीकृत नहीं है, उनके लिए: I. पंजीकरण के लिए लिंक https://eservices.nsdl.com पर क्लिक करें। II. 'आईडीईएस' के लिए ऑनलाइन पंजीकरण चुने अथवा https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। III. अपेक्षित फील्ड को भरते हुए आगे बढ़ें। IV. बिंदु 1 में दिए गए स्टेप का अनुसरण करें। 3. वैकल्पिक रूप से एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट को सीधे एक्सेस करके: I. यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ खोलें। II. 'लॉगिन' आइकॉन पर क्लिक करें, जो कि 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन में उपलब्ध है। III. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास आपका 16 डिजिट का डीमैट खाता), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई देगा, डालना होगा। IV. सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण होने के बाद, आपसे कंपनी का नाम और ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का नाम अर्थात केफिनटेक का चयन करने के लिए अनुरोध किया जाएगा। V. सफलतापूर्वक चयन करने के बाद आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट देने के लिए केफिनटेक ई-वोटिंग पेज पर ले जाया जाएगा।
सीडीएसएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. मौजूदा यूजर, जिन्होंने ईजी/ ईजियस्ट के लिए विकल्प किया है: I. यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login अथवा यूआरएल: www.cdslindia.com पर जाएं। II. न्यू सिस्टम माईईजी पर क्लिक करें। III. अपने पंजीकृत यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। IV. यूजर को ई-वोटिंग मेन्यू दिखाई देखा। मेन्यू में ईएसपी अर्थात केफिनटेक ई-वोटिंग पोर्टल के लिए लिंक होगा। V. वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें।

	2. जो यूजर ईजी/ ईजियस्ट के लिए पंजीकृत नहीं हैं: I. पंजीकरण के लिए विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasinew/home/login पर उपलब्ध है। II. अपेक्षित फील्ड को पूरा करके आगे बढ़ें। III. बिंदु 1 में दिए गए स्टेप का अनुसरण करें। 3. वैकल्पिक रूप से, सीएसडीएल की ई-वोटिंग सुविधा सीधे एक्सेस करके: I. यूआरएल : www.cdslindia.com पर जाएं। II. अपना डीमैट खाता संख्या और पैन संख्या प्रदान करें। III. सिस्टम द्वारा, पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर, जो डीमैट खाते में दर्ज है, ओटीपी भेजकर यूजर का प्रमाणीकरण किया जाएगा। IV. सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण करने के बाद यूजर को संबंधित ईएसपी अर्थात केफिनटेक के लिए लिंक दिया जाएगा, जहां पर कि ई-वोटिंग हो रही है।
अपने डीमैट खाते/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी की वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	I. ई-वोटिंग सुविधा के लिए आप एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डीपी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। II. लॉगिन कर लेने के बाद आप ई-वोटिंग का विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग के विकल्प पर क्लिक करने के बाद, आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी की साइट पर सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के बाद ले जाया जाएगा, जिसमें आप ई-वोटिंग का फीचर देख सकते हैं। III. कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता - केफिनटेक के लिए उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान बिना आगे प्रमाणीकरण किए, अपना वोट देने के लिए केफिनटेक की ई-वोटिंग वेबसाइट पर ले जाया जाएगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी : जो सदस्य यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध फोरगॉट यूजर आईडी और फोरगॉट पासवर्ड के विकल्प का प्रयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल और सीएसडीएल के माध्यम से लॉगिन संबंधी किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट रूप में प्रतिभूति धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्प डेस्क।

व्यक्तिगत सदस्य, जो उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागियों द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के माध्यम से वोट दे रहे हैं, वे हेल्पलाइन/ संपर्क विवरण पर उनके संबंधित डीपी से संपर्क करें।

लॉगिन टाइप	हेल्प डेस्क ब्यौरा
एनएसडीएल के पास धारित प्रतिभूति	कृपया evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर अथवा टोल फ्री नं. 1800 1800 1020 990 पर फोन करके एनएसडीएल हेल्प डेस्क पर संपर्क करें।
सीडीएसएल के पास धारित प्रतिभूति	कृपया helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या हेल्प डेस्क

	022-23058738 अथवा 1800 2109 911 पर संपर्क करके सीडीएसएल हेल्प डेस्क से संपर्क करें।
--	---

II डीमैट रूप में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त और भौतिक रूप में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग हेतु लॉगिन का तरीका।

(क) यदि सदस्य केफिनटेक से ई-मेल प्राप्त कर रहे हैं (ऐसे सदस्यों के लिए लागू, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं)

- i. किसी इंटरनेट ब्राउजर पर जाएं और <https://emeetings.kfintech.com/> खोलें।
- ii. लॉगिन क्रेडेंशियल डालें (अर्थात यूजर आईडी और पासवर्ड)। फिजिकल फोलियो के मामले में, यूजर आईडी, ईवीईएन (ई-वोटिंग ईवेंट नंबर) 8212, के बाद फोलियो नंबर होगा। यदि डीमैट खाता है तो यूजर आईडी आपका डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी होगा। तथापि, यदि आप पहले से ही केफिनटेक के पास ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट देने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
- iii. उपर्युक्त ब्यौरे दर्ज करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें।
- iv. पासवर्ड बदलने का मेन्यू दिखाई देगा। अपनी पसंद का नया पासवर्ड डाल कर पासवर्ड बदलें। नए पासवर्ड में कम-से-कम 8 कैरेक्टर होंगे, जिनमें कम-से-कम एक अपर केस (ए-जेड), एक लोवर केस (ए-जेड); एक अंक (0-9) और एक स्पेशल कैरेक्टर(@, #, \$, आदि) होगा। सिस्टम आपको पहली बार में लॉगिन पर अपना संपर्क विवरण जैसे मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, आदि अपडेट करने लिए भी कहेगा। आप एक गुप्त प्रश्न भी डाल सकते हैं और अपना पासवर्ड भूलने की स्थिति में पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद का उत्तर डाल सकते हैं। आपको सख्त हिदायत दी जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें और आप पासवर्ड को गोपनीय रखने का पूरा ध्यान रखें। आपको नए क्रेडेंशियल के साथ पुनः लॉगिन करना होगा।
- v. सफलतापूर्वक लॉगिन करने पर सिस्टम आपको तुरंत पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ईवीईएन का चयन करने और 'सबमिट' पर क्लिक करने के लिए कहेगा।
- vi. वोटिंग पेज पर 'फोर/अगेंस्ट' के अंतर्गत नियत तारीख अर्थात 15 अगस्त, 2024 तक शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या को दर्शाता है) प्रविष्ट करें अथवा वैकल्पिक रूप से आप 'फोर' और 'अगेंस्ट' के लिए कोई अलग संख्या डाल सकते हैं, लेकिन 'फोर'/'अगेंस्ट' में कुल संख्या मिलाकर आपकी ऊपर दी गई कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होगी। आप 'एक्सटेन' विकल्प का भी चयन कर सकते हैं। यदि सदस्य 'फोर' अथवा 'अगेंस्ट' का उल्लेख नहीं करता तो उसे 'एक्सटेन' माना जाएगा और धारित शेयरों को किसी भी शीर्ष के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा।
- vii. इसके अतिरिक्त, अनेक फोलियो/डीमैट खातों को धारण करने वाले सदस्य प्रत्येक फोलियो/ डीमैट खातों के लिए अलग वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे।

- viii. सूचना की प्रत्येक मद के लिए अलग वोटिंग की जानी है। यदि आप किसी भी संबंधित मद पर वोट नहीं करना चाहते हैं तो इसे 'एबस्टेन' माना जाएगा।
- ix. तब आप किसी उपयुक्त विकल्प का चयन करके और 'सबमिट' पर क्लिक करके अपना वोट दे सकते हैं।
- x. एक पुष्टि का बॉक्स प्रदर्शित होगा। पुष्टि करने के लिए 'ओके' पर क्लिक करें अथवा संशोधन करने के लिए 'कैंसल' पर क्लिक करें। एक बार जब आपने संकल्प पर वोट दे दिया है, तो आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी। वोटिंग की अवधि के दौरान, सदस्य संकल्प पर वोट देने तक चाहे जितनी बार लॉगिन कर सकते हैं।
- xi. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों (अर्थात व्यक्तिगत, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों के सत्यापित हस्ताक्षर नमूनों के साथ बोर्ड संकल्प/प्राधिकार-पत्र आदि की स्कैन की गई प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि (पीडीएफ फॉर्मेट में) संवीक्षक को ई-मेल आईडी nayan@mehta-mehta.in पर और उसकी प्रतिलिपि evoting@kfintech.com पर भी भेजनी अपेक्षित है। उपर्युक्त दस्तावेज की स्कैन की गई ईमेज 'कॉर्पोरेट नाम_इवेंट नं.' फॉर्मेट में होनी चाहिए।

(ख) जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं:

- i. कृपया ई-मेल पते के पंजीकरण के लिए टिप्पणी के बिंदु सं. 18 में यथा उल्लिखित स्टेप का अनुसरण करें।
- ii. कृपया ई-मेल आईडी के पंजीकरण के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना वोट देने के लिए उपर्युक्त सभी स्टेप का अनुसरण करें।
- III. किसी भी प्रकार के प्रश्न के मामले में आप हेल्प और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग मैनुअल को देख सकते हैं, जो केफिनटेक की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> के डाउनलोड खंड में उपलब्ध है अथवा आप सुश्री स्वाति रेड्डी (यूनिट: पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) से einward.ris@kfintech.com और evoting@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं अथवा केफिनटेक के टोल फ्री नंबर 1-800-309-4001 पर आगे किसी भी स्पष्टीकरण के लिए संपर्क कर सकते हैं।
- IV. जिन सदस्यों ने वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद और नियत तारीख अर्थात 15 अगस्त, 2024 को अथवा उससे पूर्व शेयर अर्जित किए हैं, वे निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोट के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं:

क) यदि सदस्य का ई-मेल अथवा मोबाइल नंबर, फोलियो सं./डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी के लिए पंजीकृत है:

सदस्य **9212993399** पर एसएमएस : MYEPWD <space> इवेंट नंबर+फोलियो नंबर अथवा डीपी आईडी क्लाइंट आईडी भेज सकते हैं।

एनएसडीएल के लिए उदाहरण : MYEPWD <SPACE> IN12345612345678

सीडीएसएल के लिए उदाहरण : MYEPWD <SPACE> 1402345612345678
फिजिकल के लिए उदाहरण : MYEPWD <SPACE> POW1234567

अथवा

सदस्य <https://evoting.kfintech.com> के होम पेज पर जा सकते हैं और पासवर्ड बनाने के लिए 'फोरगॉट पासवर्ड' पर क्लिक करके फोलियो संख्या अथवा डीपी आईडी क्लाइंट आईडी और पैन संख्या डाल सकते हैं।

ख) यदि सदस्य को एजीएम के दौरान अथवा पहले कोई तकनीकी सहायता अथवा सहयोग की आवश्यकता हो, तो उनसे अनुरोध है कि वे केफिनटेक के टोल फ्री नं.1-800-309-4001 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा उन्हें einward.ris@kfintech.com पर लिख सकते हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए अनुदेश:

1. सदस्य 'वीडियो कॉन्फ्रेंस टैब' को क्लिक करके और <https://emeetings.kfintech.com/> पर यूजर आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके, जो केफिनटेक से प्राप्त मेल में प्रदान किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए प्लेटफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। एजीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा, जहां 'इवेंट' और 'कंपनी का नाम' चुना जा सकता है। वीडियो सिंबल पर क्लिक करके बैठक में शामिल होने के लिए बैठक को स्वीकार करें। कृपया यह नोट करें कि जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं अथवा जिनके पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं अथवा यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे उसे इस सूचना में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
2. एजीएम में शामिल होने के लिए सुविधा, एजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले शुरू होगी और ऐसे नियत समय के 15 मिनट के बाद समाप्त होगी।
3. सदस्यों के बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम (अधिमानित ब्राउजर) का इस्तेमाल करके बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
4. सदस्यों को दो तरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के लिए वेब कैम की सुविधा प्रदान करनी होगी।
5. सदस्यों को यह सलाह दी जाती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुचारु रूप से भाग लेने के लिए स्थिर वाई-फाई अथवा लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करें। प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो रुकावट आ सकती है।
6. जो सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं अथवा प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे <https://emeetings.kfintech.com/> पर विजिट कर सकते हैं और अपना नाम, डिमेट खाता संख्या/फोलियो नंबर, ई-मेल पता और मोबाइल नंबर डालकर, प्रदान

किए गए विंडो में अपने प्रश्न पूछने के लिए 'पोस्ट योर क्वेश्चन' टैब पर क्लिक करें। यह विंडो 18 अगस्त, 2024 से 19 अगस्त, 2024 तक सक्रिय रहेगी।

7. उपर्युक्त स्टेप के अतिरिक्त, जो सदस्य बैठक के दौरान बोलना चाहें, वे अपने विचार प्रकट करने के लिए एजीएम के लिए स्पीकर के रूप में स्वयं को पंजीकृत करवा सकते हैं, तदनुसार, सदस्य <https://emeetings.kfintech.com/> पर जाकर 18 अगस्त, 2024 से 19 अगस्त, 2024 तक 'स्पीकर रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक कर सकते हैं। सदस्यों को एजीएम से पहले एक 'क्यू नंबर' दिया जाएगा। कंपनी के पास केवल उतने सदस्यों को ही एजीएम में बोलने के लिए सीमित रखने का अधिकार है, जिन्होंने स्वयं को पंजीकृत कराया है, जो एजीएम के लिए समय की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
8. जिन सदस्यों ने ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट देने के पात्र हैं। एजीएम के दौरान ई-वोटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। सदस्य अपना वोट देने के लिए स्क्रीन के बायीं ओर वोटिंग आइकन (अंगूठे के निशान) पर क्लिक कर सकते हैं।
9. यदि किसी सदस्य को एजीएम से पूर्व अथवा एजीएम के दौरान कोई तकनीकी सहायता अथवा सहयोग की आवश्यकता हो तो उनसे अनुरोध है कि वे केफिनटेक प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नं. 1-800-309-4001 पर कॉल कर सकते हैं अथवा evoting@kfintech.com पर उन्हें लिख सकते हैं।

सूचना में निर्धारित विशेष कार्यवाही के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार विवरण।

मद सं. 5

निम्नलिखित कथन संलग्न सूचना की मद सं. 5 में उल्लिखित विशेष कार्यवाही से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित करता है:

श्री शशांक मिश्रा, (डीआईएन: 08364288) को निदेशक (सरकारी नामिती) के रूप में नियुक्ति करना।

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के आदेश संख्या 8/1/2007-पीएफसी डेस्क दिनांक 25 जून, 2024 के अनुसार विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री शशांक मिश्रा को 25 जून, 2024 से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक (सरकारी नामित) के रूप में नियुक्त किया गया है।

कंपनी के बोर्ड में निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के रूप में श्री शशांक मिश्रा की उपरोक्त नियुक्ति के लिए सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 17(1सी) के अनुसार आम बैठक में सदस्यों की मंजूरी की आवश्यकता है। श्री शशांक मिश्रा की नियुक्ति को विनियमित करने वाले नियम और शर्तें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

उनका संक्षिप्त बायोडाटा, अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता की प्रकृति बताते हुए प्रदान किया जा रहा है, जो इस नोटिस का हिस्सा है। श्री शशांक मिश्रा, संकल्प में संपृक्त और इच्छुक हैं। कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अनुसार निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित में एक नोटिस प्राप्त हुआ है।

इसके अलावा, किसी अन्य निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का उक्त प्रस्ताव को पारित करने में कोई वित्तीय या अन्य प्रकार से सरोकार या हित नहीं है, सिवाय कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा के। बोर्ड इस नोटिस के क्रमांक 5 में दिए गए प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में आपके अनुमोदन के लिए अनुशंसा करता है।

मद सं. 6

निम्नलिखित कथन संलग्न सूचना की मद सं. 6 में उल्लिखित विशेष कार्यवाही से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित करता है:

श्री संदीप कुमार, (डीआईएन: 8529035) को निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति करना।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 24-8/1/2023-पीएफसी (एमओपी)-भाग-I दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुसार, निदेशक मंडल ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर श्री संदीप कुमार को 11 जुलाई, 2024 से पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक और निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी के बोर्ड में निदेशक (वित्त) के रूप में श्री संदीप कुमार की उपरोक्त नियुक्ति के लिए सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 17(1सी) के अनुसार आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता है। श्री संदीप कुमार की नियुक्ति को विनियमित करने वाले नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएंगी।

अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता की प्रकृति को बताते हुए इनका संक्षिप्त बायोडाटा प्रदान किया जा रहा है जो इस नोटिस का हिस्सा है। श्री संदीप कुमार संकल्प से संपृक्त और इच्छुक हैं। कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अनुसार निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित में एक नोटिस प्राप्त हुआ है।

इसके अलावा, किसी अन्य निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, उक्त संकल्प को पारित करने में कोई वित्तीय या अन्यथा चिंता या रुचि नहीं है।

बोर्ड इस नोटिस के क्रमांक 6 में दिए गए प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में आपके अनुमोदन हेतु अनुशंसित करता है।

मद सं. 3 और 6 के अंतर्गत 38वीं एजीएम में नियुक्ति/पुनः नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का ब्यौरा

नाम	श्री मनोज शर्मा	श्री शशांक मिश्रा	श्री संदीप कुमार
जन्म तिथि और आयु	10 मार्च, 1966 (58 वर्ष)	16 मार्च, 1983 (41 वर्ष)	20 मार्च, 1966 (58 वर्ष)
अर्हता	• चार्टर्ड अकाउंटेंट • लॉ में डिग्री (एलएलबी)	• आईएस अधिकारी (मध्य प्रदेश: 2007)। • आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक की डिग्री।	• चार्टर्ड अकाउंटेंट • वाणिज्य में स्नातक की डिग्री (ऑनर्स) • कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।
नियुक्ति की तारीख	29 अगस्त, 2022	25 जून, 2024	11 जुलाई, 2024
नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें	विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी अधिवाषिता की तारीख तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किया गया।	नियुक्ति की शर्तें एवं नियम भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के आदेश संख्या 8/1/2007-पीएफसी डेस्क दिनांक 25 जून, 2024 द्वारा शासित होंगी।	विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी अधिवाषिता की तारीख अर्थात 30.04.2027 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया।
पारिश्रमिक	विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार।	नियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार।	विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार।
कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	ये कानून में डिग्री (एलएलबी) के साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ये 1990 में पीएफसी में शामिल हुए और पीएफसी के निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वाणिज्यिक प्रभाग के कार्यकारी निदेशक (प्रभारी) के रूप में काम कर रहे थे। इन्हें बिजली क्षेत्र में 32 साल से अधिक का अनुभव है। पीएफसी में, इन्होंने संस्थागत मूल्यांकन और विकास, इकाई मूल्यांकन, कानूनी और दस्तावेजीकरण, कराधान, बजट, लेखा परीक्षा, वित्तीय	ये भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं। इन्हें भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 25 जून, 2024 से पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आरईसी लिमिटेड के बोर्ड में भी सरकारी नामित निदेशक हैं। विद्युत मंत्रालय में शामिल होने से पहले, इन्होंने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में कार्य किया है।	इनका बिजली और वित्तीय क्षेत्रों में 34 वर्षों से अधिक का विशिष्ट करियर रहा है। निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति से पहले, ये 1 जनवरी, 2020 से कार्यकारी निदेशक (वित्त) थे और पीएफसी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) का पद संभाल रहे हैं। पीएफसी में अपने कार्यकाल के दौरान, इन्होंने वित्त कार्य के भीतर विभिन्न पदों पर कार्य किया है, लगातार अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है और कंपनी की सफलता और लाभप्रदता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

विवरणों की तैयारी और लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्तीय विश्लेषण, संसाधन जुटाना, ऋण सिंडिकेशन और बिजली क्षेत्र में वित्तीय / वाणिज्यिक पहलुओं पर परामर्श कार्य सहित कई क्षेत्रों और डोमेन को संभाला है।

ये वाणिज्यिक प्रभाग के समग्र प्रभारी हैं, जो राज्य क्षेत्र की उपयोगिताओं के मूल्यांकन, निजी क्षेत्र में प्रमोटर मूल्यांकन, वितरण उपयोगिताओं की एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग, कानूनी मामलों, क्षमता निर्माण, प्रशासन, जनसंपर्क, सीएसआर और राजभाषा के लिए जिम्मेदार है। ये नोडल एजेंसी की भूमिका निभाने में आरडीएसएस कार्य का मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिससे पीएफसी को आवंटित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आरडीएसएस योजना के कार्यान्वयन को सक्षम बनाया जा सके, जिसका उद्देश्य बिजली वितरण क्षेत्र की परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। ये बिजली क्षेत्र के संस्थागत विकास के उद्देश्य से विभिन्न विद्युत मंत्रालय के कार्यों में लगे हुए हैं।

पिछले 3 दशकों के दौरान, ये पीएफसी की ऋण परिसंपत्तियों के संपूर्ण स्पेक्ट्रम से जुड़े रहे हैं, जिसमें ऋण नीतियों का निर्माण, वित्तीय विश्लेषण के लिए संरचित प्रारूप के साथ मूल्यांकन का मार्गदर्शन करने के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करना, लागू नियामक और वैधानिक ढांचे का अनुपालन, शर्तों की निगरानी, संवितरण की सुविधा, तनावग्रस्त खातों के लिए

ये क्रॉस-फ़ंक्शनल टीमों के प्रबंधन, ग्राहक और कर्मचारी अनुभव को बढ़ाने के लिए नवाचार को बढ़ावा देने और पीएफसी की बाजार स्थिति को मजबूत करने के मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक सिद्ध नेता हैं। इनके विविध अनुभव में फंड जुटाना, नकदी प्रबंधन, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन, उधार संचालन, तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन, नीति निर्माण, कर नियोजन, वित्तीय लेखांकन और प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली शामिल हैं।

ये आईटी परिवर्तन, ऋण वितरण प्रक्रियाओं, इंड-एएस कार्यान्वयन और ऋण वसूली दिशा-निर्देशों जैसे प्रणालीगत सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं और गैर-पूंजीगत ऋण पोर्टफोलियो के प्रबंधन, एलआईएस और एलपीएस जैसी सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने और पीएफसी की पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) पहलों को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं।

	समाधान तंत्र आदि शामिल हैं। ये पीएफसी की सहायक कंपनी पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, जो तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए पीएफसी द्वारा ऋणदाताओं द्वारा समर्थित समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए एक एसपीवी है। ये आरईसी लिमिटेड के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में पीएफसी का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं।			
वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या और भाग ली गई बैठकों की संख्या	15/16	लागू नहीं	लागू नहीं	
कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधन और अन्य केएमपी के साथ संबंध	शून्य	शून्य	शून्य	
कंपनी में धारित शेयरों की सं.	शून्य	शून्य	15,575	
अन्य कंपनियों में निदेशक	- आरईसी लिमिटेड - पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड - झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड - पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड - बिहार मेगा पावर लिमिटेड - देवघर मेगा पावर लिमिटेड	आरईसी लिमिटेड	- कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी लिमिटेड - पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड - दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड - पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड - यू.पी. पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड - मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	

	•पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आरईसी		• तेलंगाना लिमिटेड की उत्तरी विद्युत वितरण कंपनी • उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड • ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड
सभी सार्वजनिक कंपनियों में समितियों की अध्यक्षता/ सदस्यता (सूचना की तारीख तक)	आर ई सी लिमिटेड पावर • लेखा परीक्षा समिति • हितधारकों के संबंध समिति	शून्य	फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड • हितधारक संबंध और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति
सूचीबद्ध कंपनियों का विवरण जिनसे पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दिया है	शून्य	शून्य	शून्य

इसमें लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध तथा शेयरधारक/ निवेशक शिकायत समिति के अलावा बोर्ड समितियों में अध्यक्षता/सदस्यता शामिल नहीं है।